

ख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)32 / 76-खण्ड-5-2839-2841
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

प्रेषक :

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

प्रेषित :

उप निदेशक,
जिला सैनिक कल्याण सोलन,
जिला सोलन हिमाचल प्रदेश
दिनांक 19.05.2016, शिमला-171009

विषय : जिला सैनिक कल्याण सोलन की विभिन्न निधियों के लेखाओं के अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन बारे

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जिला सैनिक कल्याण सोलन की विशेष निधि, विश्राम गृह निधि सोलन, विश्राम गृह निधि परवाणु तथा झण्डा दिवस निधि के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के लेखाओं के अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। इन अंकक्षण प्रतिवेदनों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हस्ता/-
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

संलग्न : यथोपरि

पृष्ठांकन संख्या :- यथोपरि- दिनांक, शिमला-1710009

प्रतिलिपि :-

- (1) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश
- (2) सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002
- (3) जिलाधीश सोलन, जिला सोलन को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता/-
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

**जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन के अन्तर्गत सैनिक विश्राम गृह, परवाणु के लेखाओं
का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 4/2013 से 3/2015

भाग—एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। अतः अनिस्तांतरित अनुछेदों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए अन्यथा अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। गत अवधि के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/2003

1 पैरा 5 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा करने पर पैरा समाप्त)
2	पैरा 4(क), (ख) तथा (ग)	निर्णीत	(पैरा वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित है तथा पुनः प्रारूपित किया गया है)
3	पैरा 5	निर्णीत	(पैरा निवेश से सम्बन्धित है तथा पुनः प्रारूपित किया गया है)
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया है)

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अन्तर्गत सैनिक विश्राम गृह परवाणु के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 1/2014 और 10/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए 3/2014 का चयन किया गया। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना के उपलब्ध न करने के कारण पाई गई त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं है।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्था में निम्न आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहे।

पदाधिकारी का नाम	अवधि
श्री एससी सकलानी	4/2013 से 3/2015

3 अंकेक्षण शुल्क

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन के अन्तर्गत सैनिक विश्राम गृह परवाणु के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹2000 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 116, दिनांक 23.11.2015 द्वारा उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन द्वारा प्रस्तुत संस्थान के विश्राम गृह परवाणु के 4/2013 से 3/2015 से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट-“क”, पृष्ठ संख्या 7 से 12 तक) निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-“क” पर भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	929749.00	50017.00	100243.00	1080009.00	1100.00	1078909.00
2014-15	1078909.00	200000.00	3215.00	1282124.00	Nil	1282124.00

5 बैंक समाधान विवरण

संस्थान द्वारा परिशिष्ट-“छ” पर उपलब्ध करवाई गई बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है।

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार शेष	—	1282124
दिनांक 31.3.2015 को बैंक (बचत खाते) के अनुसार शेष	—	—
(परिशिष्ट-“ख” पृष्ठ संख्या 11 व 12 पर संलग्न)		
दिनांक 31.3.2015 को सावधि खातों में जमा राशि (परिशिष्ट-“ख” पृष्ठ संख्या 11 पर संलग्न)	—	—
दिनांक 31.3.2015 को बैंक (बचत खाते), हस्तगत तथा सावधि जमा खातों के अनुसार शेष (2+3+4)		1282124

योग ₹1282124

6 निवेश

(क) संस्थान द्वारा दिनांक 31.3.2015 को निवेश की गई राशि का विवरण तथा परिशिष्ट-“ख” पर (पृष्ठ संख्या 13 से 19 तक) संलग्न है।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सावधि जमा में निवेश की गई राशियों को व्यय दर्शाया गया है, जोकि उचित नहीं है। अतः भविष्य में सावधि जमा में निवेश की गई राशियों को रोकड़ वही में व्यय न दर्शाकर सावधि जमा में निवेश किया गया दर्शाया जाए।

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए सावधि जमा की पड़ताल के दौरान पाया गया कि उनके परिपक्व होने पर निम्नलिखित निवेशों पर बैंकों द्वारा लगभग ₹695 कम ब्याज दिया गया है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संस्था द्वारा अपने स्तर पर भी पड़ताल करके यह मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए तथा कम प्राप्त किए ब्याज की ₹695 वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

क्र० सं०	सावधि जमा खाता सं०/सावधि जमा रजिस्टर की पृष्ठ सं०	निवेश की तिथि	निवेश की गई राशि	ब्याज की दर	निवेश के परिपक्वता की तिथि	राशि जो प्राप्त जानी थी	जितनी परिपक्व राशि प्राप्त हुई	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ
1	30885276296/5	9.9.11	114888	9.25%	9.9.13	137944	137386	558
2	31732517662/4	2.5.11	149923	8.75%	2.5.13	178259	178122	137
कुल योग								₹695

7 बैंक खातों के रख-रखाव के बारे में

संस्थान द्वारा दिनांक 31.3.2015 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोलन, (हि०प्र०) में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 7 खाते खुलवा रखे थे। अतः सुझाव दिया जाता है कि सरप्लस फंडस का निवेश करते समय हि०प्र० सरकार की पत्र संख्या फिन: आईएफ(ए)1-68/91-V, फाइनेंस डिपार्टमेंट (आईएफ) दिनांक, शिमला-171002, 17.4.2014 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 रोकड़ वही के रख-रखाव बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही में कई पृष्ठों पर कटिंग्स तथा ओवर-राइटिंग की गई थी तथा इन कटिंग्स/ओवर राइटिंग्स को सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया था। अतः सम्बन्धित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

9 दिनांक 31.3.2015 तक विश्राम गृह के किराए की ₹150000 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण को परिशिष्ट-“ग” पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को ₹150000 की वसूली शेष थी। इस प्रकार किराए की वसूली समय पर न किए जाने के कारण एक और तो संस्था की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ता है, वहीं दूसरी ओर संस्था को ब्याज के रूप में निरंतर हानि हो रही है। अतः विश्राम गृह का नियमित रूप से किराया न वसूल किए जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही उक्त राशि की शीघ्र वसूली करके इसे सम्बन्धित खाते में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 लघु आपत्ति विवरणिका

इस प्रकार की कोई भी विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

11 निष्कर्ष

लेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

पृष्ठांकन संख्या प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत

(1) उप निदेशक जिला कल्याण विभाग, सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजे।

(2) अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0प्र0 सरकार शिमला-2

(3) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-09